

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

80

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : रूनीबर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1570

दिनांक : 28/12/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार डॉ. अम्बेडकर महाविद्यालय, वीरपुर, जिला- श्योपुर को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित, बी.ए.- तृतीय वर्ष (आ.पा., हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, बी.कॉम.-तृतीय, बी.एस-सी.-तृतीय वर्ष (आ.पा., गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस., बी.सी.ए.- तृतीय वर्ष, बी.बी.ए.-तृतीय, बी.एच.एस.-सी.-तृतीय एवं बी.ए.-द्वितीय में- संस्कृत अति.वि पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय तीन माह के भीतर विभिन्न विषयों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करें। अन्यथा महाविद्यालय को अगामी वर्ष की सम्बद्धता न दी जावे।
2. 25,000/- की पुस्तकें क्रय करें।
3. 50,000/- के उपकरण विभिन्न प्रयोगशालाओं हेतु क्रय करें।
4. शिक्षकों को वेतन बैंक के माध्यम से दें।
5. खेल मैदान विकसित करें।
6. परिनियम 27 एवं 28 का पालन करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य डॉ. अम्बेडकर महाविद्यालय, वीरपुर, जिला- श्योपुर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)